FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

हंसराज बनाम महादेव प्रसाद एवं अन्य

किस्म मुकदमा— निगरानी नम्बर 10—सन्— 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.2024	अधिवक्ता निगरानीकार उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 व 2 उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि धारा 73 (2)राज0 नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को नहीं है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि धारा 73 (2) के अधीन सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को है। हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राज0 नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 (2) के प्रावधान निम्न प्रकार हैः—धारा 73 (2)(क) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त कोई अधिकारी किसी नगरपालिका या किसी नगरपालिका के अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने या अन्तरित करने के लिए किये किये गये किसी प्रस्ताव की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा और ऐसा करते समय यह निर्देश दे सकेगा कि मामले के परीक्षण होने तक नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने या अन्तरित करने का प्रस्ताव प्रास्थगित रहेगा और उपधारा 2 (ख) के अधीन राज्य सरकार का या प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय होने तक उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। (ख) यदि अभिलेख के परीक्षण के पश्चात और इस प्रकार के प्रस्ताव में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी को सह समाधान हो जावे कि नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने या अन्तरित करने का प्रस्ताव इस उपबन्धों के अनुसार नहीं है या उनका उल्लंघन करता है तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उस नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने या अन्तरित करने के लिए किये गये प्रस्ताव को या उसके अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई या कार्यवाही को पूर्णतः या भागतः उपान्तरित, रद्द या विखंडित कर सकेगा या ऐसी कोई भी अन्य निर्देश दे सकेगा, जो वह उचित समझे। साथ ही इस संबंध में गुलाब जिलानी बनाम स्वायत्त शासन संस्था विभाग द्वारा निदेशक, सी—स्कीम जयपुर एवं अन्य 2018 (2) आर.एल.डब्ल्यू. 1047—2018(1) सिविल टाइम्स (राजस्थान) 26) में प्रतिपादित निम्न विवरण अवलोकनीय हैः— "राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 73(2), 327— कलक्टर ने पंजीकृत पट्टा विलेख निरस्त किया। कलक्टर को न तो शक्ति प्राप्त है और न ही राज्य सरकार ने 2009 के अधिनियम की धारा 73(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने हेतु उसे अधिकृत किया गया है—धारा 73(2) नगरपालिका के भूमि का पट्टा/विक्रय करने की प्रस्ताव की अवस्था [illegible] लागू होती है, न कि उसके पट्टा देने/विक्रय करने और पंजीयन [illegible] पश्चातवर्ती अवस्था में—अभिनिर्धारित— पंजीकृत पट्टा/लीज निरस्त [illegible] जिला कलक्टर का आदेश अधिकारिता विहीन है। अतः [illegible] योग्य है।" Signature Not Verified Digitally signed by Devendra Kumar Date: 2025.01.08 12:32:52 IST Reason: SelfAttested Devendra	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना कमांकःप. 8(ग)( )नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.6.2016 अवलोकनीय है जिसमे यह निर्देश प्रदान किये गये हैः—

" राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उप—धारा (2) सपठित धारा 337 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक संभाग के सम्भागीय आयुक्त को उक्त धारा 73 के अधीन सत्पत्ति के अन्तरण और संविधा से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत (Authorized) किया जाता है।"

यहॉ यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा 73(2) के तहत सुनवाई के अधिकार राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर को दिये जाने के संबंध में कोई आदेश प्रसारित किये हो, इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।
हम निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर ही खारिज किया जाना उचित समझते है।
अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी इस लिबर्टी के साथ खारिज की जाती है कि निगरानीकार सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। खुले न्यायालय सुनाया गया।

Devendra

जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:32:52 IST
Reason: SelfAttested